



Committed to
professional excellence

IIBF VISION

खंड संख्या 15

अंक संख्या 06

जनवरी, 2023

पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।



इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....	2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ	3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....	4
विनियामक के कथन	4
आर्थिक संवेष्टन	5
नयी नियुक्तियाँ	5
विदेशी मुद्रा.....	6
शब्दावली.....	6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....	6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियाँ	7
संस्थान समाचार	7
नयी पहलकदमी	8
बाजार की खबरें	8

“इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मर्दाने सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मर्दाने में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस समाचार मर्दाने/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।”

मुख्य घटनाएँ

1ली जी20 एफसीबीडी बैठक में वैश्विक आर्थिक प्रत्याशा, वहनीय वित्त और वित्तीय समावेशन पर जोर

भारत ने जी20 वित्त मार्ग की शुरुआत बेंगलूरु (कर्नाटक) में आयोजित 1ली जी20 वित्त और केंद्रीय बैंक के नायबों (Deputies) की बैठक से की। उक्त बैठक में शामिल विषयों में उभरती वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत अनुक्रियाओं के अलावा वैश्विक आर्थिक प्रत्याशा (outlook) एवं जोखिमों का समावेश था। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की संयुक्त मेजबानी में आयोजित इस तीन-दिवसीय सभा में अन्य मुद्दों के साथ - साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अवसररचना के आकार निर्धारण, मूलभूत सुविधा विकास एवं उसके वित्तीयन, वहनीय वित्त, वैश्विक वित्तीय स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कराधान तथा वित्तीय समावेशन जैसे मुख्य प्रासंगिक मुद्दे /विषय शामिल थे।

भारतीय रिजर्व बैंक डेटा विश्लेषण के लिए एआई, एमएल चालित उपकरणों का व्यापक तौर पर उपयोग करेगा

चुनौतीपूर्ण वित्तीय वातावरण की पृष्ठभूमि और भारत के जी20 की अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-25 के लिए अपने मध्यावधिक रणनीतिक ढांचे उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास द्वारा प्रारम्भ किए गए उत्कर्ष 2.0 में छः विजन वक्तव्यों और उनके साथ ही मूल उद्देश्यों, मूल्यों तथा उत्कर्ष 2022 के मिशन वक्तव्य को बरकरार रखा गया है। तथापि, डेटा विश्लेषण और सूचना सृजन हेतु कृत्रिम प्रज्ञा (Intelligence) और मशीन शिक्षण (ML) चालित उपकरण उत्कर्ष 2.0 के अभिन्न अंग होंगे। उत्कर्ष 2.0 में उसके कार्यों के निष्पादन में उत्कृष्टता, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रति नागरिकों एवं संस्थाओं के सुदृढीकृत भरोसे तथा राष्ट्रीय एवं वैश्विक भूमिकाओं में वर्धित प्रासंगिकता एवं सार्थकता का समावेश होगा। इसमें प्राथमिकताओं, कार्यकलापों/गतिविधियों तथा 2023-25 के बीच वाली अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रत्येक उद्देश्य के अधीन वांछित परिणामों का निर्धारण किया गया है।

बाजारों के लिए व्यापार का समय वैश्विक महामारी के पूर्व वाले समयानुसार किया गया

कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा उपस्थित किए गए स्वास्थ्य से जुड़े जोखिमों एवं परिचालनात्मक समस्याओं को ध्यान में रखते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने उसके द्वारा विनियमित विविध बाजारों के लिए 7 अप्रैल, 2020 से व्यापार का समय संशोधित कर दिया था। हालांकि, अब चलनिधि परिचालनों को सामान्य बनाने के उद्देश्य से उसने व्यापार के समय को उक्त आशोधन से पहले वाले समय के अनुसार बहाल कर दिया है। तदनुसार, मांग/सूचना/सावधि मुद्रा बाजार, वाणिज्यिक पत्रों एवं जमा प्रमाणपत्रों, कारपोरेट बान्डों की पुनर्खरीद (repo) और रुपया ब्याज दर व्युत्पन्नियों (Derivatives) के बाजार 5.00 बजे अपरान्ह बंद हो जाएंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने सोने के प्रतिरक्षण की अनुमति दी; सहभागियों को अनिश्चितताओं के समक्ष बेहतर रीति से सुसज्जित किया जा सकेगा

अब भारतीय निवासियों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) में मान्यताप्राप्त शेयर बाजारों में सोने को प्रतिरक्षित (hedge) करने की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। इस मुहिम से सहभागियों को कीमतों में उतार-चढ़ावों तथा मुद्रा में अधोमुखी (downward) उतार/गिरावट जैसी अनिश्चितताओं के समक्ष अपने आप को संरक्षित रखने के लिए अपनी क्रय-विक्रय की स्थितियों (positions) को प्रतिरक्षित करने में सहायता प्राप्त होगी। इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में मात्राओं (volumes) एवं कार्यकलापों में वृद्धि होगी। यह सोने के उन वैश्विक आयातकों एवं निर्यातकों के लिए समर्थकारी सिद्ध होगा जो उत्पादन के लिए इस पीली धातु का उपयोग प्राथमिक कच्चे माल के रूप में करते हैं। इसके अतिरिक्त, इससे भारतीय आभूषण उद्योग की मूल्यगत स्पर्धात्मकता में भी वृद्धि होगी।

बैंकों में दो अंकों वाली वृद्धि, कमतर अनर्जक आस्तियां, बेहतर पूंजीगत स्थिति प्रदर्शित हो रही है : भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट

भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति पर भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्यरत बैंकों में सात वर्षों के बड़े अंतराल के पश्चात वर्ष 2021-22 में दोहरे अंकों वाली वृद्धि प्रदर्शित हुई है। अपने तुलन पत्रों में तेजी (upswing) के अतिरिक्त बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता और पूंजीगत स्थिति को भी बेहतर बना रहे हैं। यह सुदृढ वृद्धि विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) में दिखाई देती है जिनकी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) की जमाराशियों में हिस्सेदारी 62% होती है तथा ऋणों में जिनकी हिस्सेदारी 58% होती है।

कमतर गिरावट (slippages) तथा वसूलियों, कोटि-उन्नयन (upgradation) एवं अपलेखन (write off) के माध्यम से बकाया सकल अनर्जक आस्तियों में कमी के कारण सकल निवल अनर्जक आस्तियाँ (GNPAs) मार्च, 2022 के 5.8% की तुलना में घटकर सितंबर, 2022 तक सकल अग्रिमों की 5% रह गई।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय बैंको, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को घरेलू स्तर पर प्रतिबंधित वित्तीय उत्पादों का विदेशों में लेनदेन करने की अनुमति

भारतीय बैंकों/ अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (AIFIs) की विदेशों में स्थित शाखायें/ विदेशों में स्थित सहायक कंपनियाँ अब घरेलू बाजारों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रतिबंधित/अनुपलब्ध वित्तीय उत्पादों (संरचित वित्तीय उत्पादों सहित) का लेनदेन कर सकती हैं। गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त टेक अर्थात् गिफ्ट सिटी से बाहर परिचालनरत सहित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों (IFSCs) में परिचालनरत भारतीय बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं की शाखाएँ और सहायक कंपनियाँ भी इसप्रकार के लेनदेन कर सकती हैं। बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि इसप्रकार की शाखाएँ और सहायक कंपनियाँ भारतीय रूप से सबद्ध उत्पादों का तब तक लेनदेन न करें जब तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट न की गई हों। उन्हें भारतीय निवासियों से संरचित जमाराशियाँ स्वीकार करने की अनुमति नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन वित्तीय उत्पादों पर पूंजी पर्याप्तता, एक्सपोजर मानदंड, आवधिक मूल्यांकन तथा अन्य सभी प्रयोज्य मानदंडों सहित विवेकसम्मत मानदंड लागू होंगे। विदेशी अधिकार क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में शाखाओं/सहायक कंपनियों के कार्यकलाप जब तक विधि द्वारा विशिष्ट रूप से छूट प्राप्त न हो तब तक भारतीय कानूनों के अधीन होंगे।

शहरी सहकारी बैंकों को श्रेणीकरण, निवल मालियत से संबन्धित संशोधित मानदंड प्राप्त हुये

शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) की वित्तीय सुदृढ़ता के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के श्रेणीकरण के लिए एक चार-स्तरीय विनियामक ढांचा तैयार किया है। उसने इन बैंकों की निवल मालियत तथा पूंजी पर्याप्तता से संबन्धित मानदंड भी जारी कर दिये हैं।

तदनुसार, टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों में सभी इकाई/यूनिट शहरी सहकारी बैंकों तथा संवेतन अर्जक शहरी सहकारी बैंकों (उनका जमा आकार चाहे जितना भी क्यों न हो) और 100 करोड़ रूपए तक की जमाराशियों वाले सभी अन्य शहरी सहकारी बैंकों का समावेश है। टियर 2 में 100 करोड़ रूपए और 1000 करोड़ रूपए के बीच की जमाराशियों वाले शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। टियर 3 में 1000 करोड़ रूपए से लेकर 10,000 करोड़ रूपए के बीच की जमाराशियों वाले शहरी सहकारी बैंकों का समावेश है। 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की जमाराशियों वाले शहरी सहकारी बैंकों को टियर 4 में श्रेणीकृत किया गया है।

जहां तक निवल मालियत संबंधी आवश्यकता का संबंध है, केवल एक जिले में परिचालनरत टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों को न्यूनतम 2 करोड़ रूपए की निवल मालियत वाला होना चाहिए। अन्य सभी शहरी सहकारी बैंकों (टियर 1, 2 और 3 में) के लिए न्यूनतम निवल मालियत 5 करोड़ रूपए होनी चाहिए। निर्धारित निवल मालियत न रखने वाले शहरी सहकारी बैंकों को इन आवश्यकताओं को चरणबद्ध रीति से पूरा करना होगा। टियर 1 शहरी सहकारी बैंकों द्वारा निरंतर आधार पर बनाया रखा जाने वाला जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) जोखिम-भारित आस्तियों (RWAs) का न्यूनतम 9% होना चाहिए। टियर 2 से लेकर टियर 4 तक के शहरी सहकारी बैंकों के लिए यह अनुपात निरंतर आधार पर जोखिम-भारित आस्तियों का 12% है।

शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुसंचालित कंपनी के रूप में वर्गीकृत करने हेतु संशोधित मानदंड

शहरी सहकारी बैंकों की प्रोफाइल को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने उन्हें वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुसंचालित (FSWM) बैंकिंग कंपनियों के रूप में श्रेणीकृत करने हेतु संशोधित मानदंड निर्धारित किए हैं।

तात्कालिक प्रभाव से प्रयोज्य इन मानदंडों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुसंचालित कंपनी के रूप में केवल तभी श्रेणीकृत किया जा सकता है जब उन्होंने पूर्ववर्ती चार वर्षों में से कम से कम तीन वर्षों में निवल लाभ रिपोर्ट किया हो, तात्कालिक पूर्ववर्ती वर्ष में निवल हानि न वहन की हो तथा उनकी अनर्जक आस्तियाँ (NPAs) 3% से कम हों। उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) संदर्भाधीन तिथि को शहरी सहकारी बैंकों के लिए लागू जोखिम-भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (CRAR) से कम से कम 1% अधिक होना चाहिए।

बैंकों की चलनिधि स्थिति पर बल देते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने यह विनिर्दिष्ट किया है कि शहरी सहकारी बैंक ने आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) के अनुरक्षण में पूर्ववर्ती वर्ष में चूक न की हो। बैंक में एक ऐसी सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद हो जिसके निदेशक मण्डल (Board) में कम से कम दो व्यावसायिक निदेशकों का समावेश हो। उसने कोर बैंकिंग प्रणाली (CBS) पूर्णरूपेण कार्यान्वित कर रखी हो। पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान उस पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए किसी प्रकार का मौद्रिक दंड न लगाया गया हो।

शहरी सहकारी बैंकों के निदेशक मण्डल को वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा सम्पन्न होने तथा भारतीय रिजर्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट के जब कभी प्राप्त होने के तुरंत बाद वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं सुसंचालित कंपनी वाले मानदंड का वार्षिक आधार पर पुनरीक्षण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पर्यवेक्षी पुनरीक्षण के अधीन होगी।

सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियों को रखने की वर्धित उच्चतम सीमा के लिए व्यवस्था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाई गई

वर्तमान में बैंक 1 सितंबर, 2020 और 31 मार्च, 2023 के बीच अधिगृहीत सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) की पात्र प्रतिभूतियों के मामले में निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के लिए 23% की वर्धित परिपक्वता तक धारित (HTM) सीमा रखते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने इस व्यवस्था को 31 मार्च, 2024 तक अधिगृहीत प्रतिभूतियों के लिए बढ़ा दिया है। 30 जून, 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही से उक्त वर्धित परिपक्वता तक धारित सीमा एक चरणबद्ध रीति से 19.5% पर बरकरार रखी जाएगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भुगतान से संबन्धित धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग मापांक का दक्ष में अभिगमन

भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी, 2023 से भुगतान से संबन्धित धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग मापांक (Module) को अपनी उन्नत पर्यवेक्षी प्रबंधन प्रणाली दक्ष में बदल दिया। इस मुहिम का उद्देश्य ऐसी धोखाधड़ियों की रिपोर्टिंग को युक्तिसंगत बनाना, कार्यकुशलता बढ़ाना तथा भुगतान से संबन्धित धोखाधड़ी प्रबंधन प्रक्रिया को कंप्यूटरीकृत करना है। भुगतान से संबन्धित धोखाधड़ी वाले लेनदेनों की रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी जारीकर्ता बैंक, पूर्वदत्त भुगतान लिखत जारीकर्ता अथवा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली उन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की होगी, जिनके भुगतान लिखत का उपयोग उक्त धोखाधड़ी में किया गया है। दक्ष को रिपोर्ट करने से पहले इन कंपनियों को प्रामाणिकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक द्वारा रिपोर्ट की गई भुगतान संबंधी धोखाधड़ी से संबन्धित सूचना को वैधीकृत करने हेतु स्वयं अपनी प्रणालियों का उपयोग करना होगा। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे भुगतान से संबन्धित धोखाधड़ियों (घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय) की रिपोर्ट केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (CPFIR) को ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए जाने की तिथि/कंपनी द्वारा पता लगाए जाने की तिथि से सात कैलेंडर दिवसों के भीतर करें।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक ने रूपांतरकारी नवोन्मेषों के लिए फिंटेक की सराहना की; अभिशासन, जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान दिये जाने की सलाह दी

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास, उप गवर्नर श्री एम. के. जैन और भारतीय रिजर्व बैंक के कुछेक वरिष्ठ अधिकारियों ने चुनिदा फिंटेक संस्थाओं तथा उनके उद्योग से जुड़े संघों के साथ उन्हें अभिशासन से जुड़े मुद्दों, डेटा संरक्षण, विनियामक अनुपालन एवं जोखिम न्यूनीकरण पर ध्यान दिये जाने की सलाह देने के लिए बैठक की, क्योंकि वे अपने नवोन्मेषों के माध्यम से वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को निरंतर आधार पर रूपांतरित करते रहे हैं। गवर्नर ने डिजिटल नवोन्मेषों, वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के नवीन साधनों के जरिये प्रणाली को रूपांतरित करने हेतु फिंटेकों की सराहना की। उन्होंने नए युग की इन कंपनियों के प्रति भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिबद्धता को भी दोहराया तथा उत्तरदाई नवोन्मेषों के लिए सहायक नीतिगत वातावरण उपलब्ध कराने में शीर्ष बैंक की सक्रिय एवं समर्थकारी भूमिका का उल्लेख किया। उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेष को सुगम बनाने के लिए अपने सहभागी एवं परामर्शी दृष्टिकोण को आगे भी जारी रखेगा।

सरकारी हरित/ग्रीन बांड ईएसजी सम्बद्ध ऋण के लिए निजी क्षेत्र के बाँड़ों हेतु एक बेंचमार्क सिद्ध हो सकते हैं : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने यह मत व्यक्त किया है कि केंद्र के संप्रभु हरित (sovereign green) बांडों का मूल्य-निर्धारण पर्यावरण संबंधी, सामाजिक एवं अभिशासन (ESG) सम्बद्ध ऋण के लिए रुपया बाँड़ों के जरिये निधियाँ जुटाने वाले निजी क्षेत्र के सहभागियों के लिए एक बेंचमार्क सिद्ध हो सकते हैं। उन्होंने निश्चयपूर्वक कहा कि इस तेजी के लिए परंपरागत उधारदायी दृष्टिकोण में परियोजनाओं के हरित प्रत्यायन (credentials) के मूल्यांकन और प्रमाणन सहित कतिपय ढांचागत परिवर्तनों की आवश्यकता हो सकती है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए मानव संसाधन एवं क्षमता-निर्माण के प्रयासों में निवेश करने तथा उसके साथ ही पर्यावरण संबंधी और सामाजिक विचारों को उनके कारपोरेट ऋण मूल्यांकन तंत्रों/व्यवस्थाओं में एकीकृत करने की आवश्यकता होगी, ताकि हरित वित्त (green finance) को संकेंद्रित विधि से बढ़ाया जा सके।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई नवम्बर, 2022 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार

कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- निजी उपभोग सकल घरेलू उत्पाद के 58.4% के स्तर पर रह कर पिछले 11 वर्षों के दौरान समस्त दूसरी तिमाहियों के सर्वोच्च शिखर पर पहुँच गया।
- नवम्बर, 2022 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक – संयोजित (combined) अक्टूबर, 2022 के 6.8% की तुलना में तेजी से घटकर (वर्षानुवर्ष) 5.9% हो गया।
- मुख्य मुद्रास्फीति समस्यामूलक बनी रही तथा वह नवम्बर, 2022 में 6% के वर्धित स्तर पर कायम रही।
- सुदृढ़ घरेलू मांग और स्थिर निवेश गतिविधि से सहायता पा कर भारत का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 2022-23 की 2री तिमाही में वर्षानुवर्ष आधार पर 6.3% रहा।
- सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का अंश 2022-23 की 1ली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के 22.9% से बढ़कर 2री तिमाही में 23.3% हो गया।
- वित्त वर्ष 2022-23 की 3री तिमाही के दौरान पीएमआई विनिर्माण द्वारा यथा मापित औद्योगिक गतिविधि विस्तारवादी क्षेत्र में बनी रही।
- बिजली और सीमेंट, जो मौसमी कारकों से प्रभावित रहे, को छोड़कर अक्टूबर में आठ महत्वपूर्ण उद्योगों का कार्य-निष्पादन आनुक्रमिक रूप से सकारात्मक रहा।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री भास्कर बाबू रामचंद्रन	सूर्योदय लघु वित्त बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में पुनर्नियुक्त
श्री शाजी के. वी.	अध्यक्ष, नाबाई
श्री शमशेर सिंह	एसबीआई म्यूचुअल फंड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	30 दिसम्बर, 2022 के दिन करोड़ रुपए	30 दिसम्बर, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4656002	562851
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	4121067	498188
1.2 सोना	341827	41323
1.3 विशेष आहरण अधिकार	150400	18182
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42708	5159

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

जनवरी, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	4.30
जीबीपी	3.4282
यूरो	1.906
जापानी येन	-0.047
कनाडाई डालर	4.2700

मुद्रा	दरें
आस्ट्रेलियाई डालर	3.10
स्विस फ्रैंक	0.939876
न्यूजीलैंड डालर	4.25
स्वीडिश क्रोन	2.376
सिंगापुर डालर	1.8706

मुद्रा	दरें
हांगकांग डालर	1.38621
म्यामार रुपया	2.75
डैनिश क्रोन	1.6610

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

हरित बांड (Green Bond)

हरित बांड (Green Bond) स्थिर आय लिखत का एक ऐसा प्रकार होता है जो जलवायु एवं पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के लिए विशिष्ट रूप से उद्दिष्ट होता है। ये बांड विशिष्ट रूप से आस्ति से सम्बद्ध होते हैं तथा वे जारीकर्ता संस्था/कंपनी के तुलनपत्र द्वारा समर्थित होते हैं, अतएव वे आम तौर पर वही साख श्रेणी निर्धारण वहन करते हैं जो जारीकर्ता की अन्य ऋणगत बाध्यताएं (debt obligations) वहन करती हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

निवल वर्तमान मूल्य (NPV)

निवल वर्तमान मूल्य एक समयावधि के पश्चात नकदी अंतर्वाहों (inflows) के वर्तमान मूल्य और नकदी बहिर्वाहों (outflows) के वर्तमान मूल्य के बीच का अंतर होता है। निवल वर्तमान मूल्य यथोचित बट्टा दर का उपयोग करते हुये ऐसे परिकलनों (calculations) का परिणाम होता है जिनसे भुगतानों की भावी धारा के वर्तमान मूल्य का पता चलता है। इसका उपयोग भुगतानों की भावी धारा के वर्तमान मूल्य की गणना करने हेतु किया जाता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जनवरी, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण (VCRT CTP-31)	4 से 6 जनवरी	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए परीक्षोपरांत प्रौद्योगिकी पर आधारित विधि से प्रशिक्षण (VCCP-61)	10 से 12 जनवरी	
तुलनपत्र वाचन एवं अनुपात विश्लेषण	16 से 18 जनवरी	
शाखा प्रबन्धकों के लिए कार्यक्रम – शाखाओं में नियंत्रण पक्ष	19 से 21 जनवरी	
व्यापार पर आधारित धन-शोधन (money laundering)	20 से 21 जनवरी	
निवारक सतर्कता एवं धोखाधड़ी प्रबंधन पर कार्यक्रम	23 से 25 जनवरी	

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम- वित्तीय पहलकदमी की भागीदारी में अनुक्रियात्मक बैंकिंग पर एक बैंकिंग निर्वाचिका सभा का आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर विभिन्न स्तरों के बैंकरों को सुग्राही बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम – वित्तीय पहलकदमी (UNEP-FI) के साथ भागीदारी कर रखी है। बैंकों के बोर्ड के सदस्यों के लिए उक्त निर्वाचिका सभा (conclave) 30 जनवरी, 2023 को प्रारम्भ होगी जिसके बाद सामान्य बैंकरों, ऋण जोखिम व्यावसायिकों तथा कार्पोरेंटों के संबंध प्रबन्धकों के लिए क्रमशः 31 जनवरी, 2023, 1 फरवरी, 2023 और 2 फरवरी, 2023 को कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस – अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक पाठ्यक्रम का आयोजन

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणन पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम 4-6 घंटों के शिक्षण के समावेश वाले ई-शिक्षण (E-learning) के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसके बाद एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाएगा। प्रमाण पत्र इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एवं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए जाएंगे।

आईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरुआत

संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन विषयों, परीक्षा के प्रतिमान, विषयों के लिए उपलब्ध होने वाले सम्मान/रुतबों, उत्तीर्णन हेतु समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के संबंध में विस्तृत सूचना वेबसाइट पर डाली गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीआईआईबी परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेंस द्वारा हीरक जयंती एवं सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित

संस्थान हीरक जयंती एवं सी. एच. भाभा बैंकिंग ओवरसीज रिसर्च फ़ेलोशिप (DJCHBBORF)- 2022-23 के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। इस फ़ेलोशिप का उद्देश्य सफल अभ्यर्थी को भारत अथवा विदेशों में बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में अद्यतन घटनाओं पर शोध

अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना है। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनेन्स द्वारा सूक्ष्म एवं स्थूल शोध के अधीन प्रस्ताव आमंत्रित

संस्थान अपने सदस्यों (बैंकरों) को अपनी रुचि के क्षेत्रों एवं उत्तम प्रथाओं पर स्वयं अपने मौलिक विचार, मन्तव्य प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सूक्ष्म शोध 2022-23 हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। संस्थान वर्ष 2022-23 के लिए स्थूल शोध प्रस्ताव भी आमंत्रित करता है। दोनों ही श्रेणियों के तहत आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 28 फरवरी, 2023 है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2023 तिमाही के लिए आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: 'Increased Footprints of Financial Planning and Wealth Management.'

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि


संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने-आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2023 से जुलाई, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।


नयी पहलकदमी

दस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें




स्रोत: एफबीआईएल




स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर


• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998




स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2022




स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक




स्रोत : अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, दिसम्बर, 2022



स्रोत : गोल्ड प्राइस इंडिया



स्रोत : पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय



स्रोत : बंबई शेयर बाजार (BSE) और राष्ट्रीय शेयर बाजार (NSE)

Printed by Biswa Ketan Das, Published by Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and printed at Onlooker Press 16, Sasoan Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and published at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
 Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kiroi Road, Kurla (W),
 Mumbai - 400 070.
 Tel. : 91-22-6850 7000
 E-mail : admin@iibf.org.in
 Website : www.iibf.org.in